S.No.481

00967

सत्यमेव जयते

हरियाणा सरकार पर

भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक

के प्रतिवेदनों का सार

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री हेतु कृपया हमारी वेबसाईट www.cag.gov.in देखें।

© भारत के
नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghry.nic.in

हरियाणा सरकार पर

भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक

के प्रतिवेदनों का सार

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़

विषय वस्तु

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	
1.	विशिष्टताएं	1
2.	राज्य सरकार के वित्त	6
3.	वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण	7
4.	वित्तीय रिपोर्टिंग	8
	2015 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2 सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)	
5.	विशिष्टताएं	9
6.	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	
	माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली	10
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	11
	शहरी संपदाओं का विकास	12
7.	अनुपालन लेखापरीक्षा	13
	2014 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 राजस्व सेक्टर	
8.	विशिष्टताएं	16
9.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	17
10.	प्रणाली मूल्यांकन/आई.टी. लेखापरीक्षा	
	हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली (हैरिस)	17
11.	अनुच्छेदों के रूप में शामिल महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम	18
	बिक्री कर/वैट (आबकारी एवं कराधान विभाग)	18
	स्टाम्प शुल्क (राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग)	18
	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (आबकारी एवं कराधान विभाग)	18
	2015 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र)	
1.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में	19
2.	सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा	19
	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में वित्तीय पुनर्गठन योजना	20
	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड का कार्यचालन	20
3.	लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	21

प्रस्तावना

यह पुस्तिका, सरसरी दृष्टि में हरियाणा सरकार से संबंधित 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों (राज्य के वित्त, सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों), राजस्व सैक्टर तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों) की विषय-वस्तु को प्रस्तुत करती है। इन प्रतिवेदनों में हरियाणा सरकार, सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम शामिल हैं।

संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए बिंदुओं एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्यपाल को अग्रेषित करते हैं जो उन्हें विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करवाते हैं।

राज्य सरकार के लेन-देनों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विधान सभा को प्रस्तुत किए गए राज्य के वित्त, राजस्व सैक्टर, सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) संबंधी प्रतिवेदन लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) को तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों) के संबंध में लोक उपक्रम समिति (कोपु) को संदर्भित किए जाते हैं। सरकारी विभागों द्वारा समिति को सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों एवं संपादन लेखापरीक्षाओं पर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांच की गई स्वत: कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करनी होती हैं। समितियां इन अनुच्छेदों/संपादन लेखापरीक्षाओं में से कुछ का चयन विस्तृत परीक्षण हेतु करती हैं जिसके पश्चात् अपनी अभ्युक्तियों तथा अनुशंसाओं से समायुक्त रिपोर्ट विधान सभा को प्रस्तुत करती है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में संमिलित अनुच्छेदों/संपादन लेखापरीक्षाओं के प्रारूप सदैव संबंधित विभाग के सचिव को उसकी टिप्पणी के लिए अग्रेषित किए जाते हैं ताकि विधानसभा में प्रस्तुतिकरण से पहले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सरकार के विचार शामिल किए जा सकें। वित्त विभाग ने निर्धारित किया है कि प्रारूप अनुच्छेदों का निपटान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए तथा संबंधित विभाग की टिप्पणियां छ: सप्ताह की अवधि के भीतर लेखापरीक्षा को सूचित की जानी चाहिए। तथापि, अत्यधिक प्रकरणों में प्रारूप अनुच्छेदों पर निर्धारित समय में टिप्पणियों को प्रेषित करने संबंधी प्रावधानों की अनुपालना विभागों ने नहीं की थी।

इस पुस्तिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का केवल संक्षिप्त वृतान्त शामिल है। इस दस्तावेज़ की विषय-वस्तु को मूल प्रतिवेदनों के यथा संभव समरूप रखने का हमारा प्रयास रहा है विस्तृत तथ्यों एवं आंकड़ों के लिए मूल प्रतिवेदनों को संदर्भित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण के लिए जिन अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है उनके नाम एवं दूरभाष नंबर इस प्रकाशन के अंतिम आवरण पृष्ठ के अंदर वाले पृष्ठ पर दिए गए हैं।

राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2013-14 हेतु राज्य सरकार के वित्तों, वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण पर अभ्युक्तियों एवं हरियाणा सरकार की वित्तीय रिपोर्टिंग से समायुक्त तीन अध्याय शामिल हैं।

विशिष्टताएं

- *राजस्व घाटा, जो 2011-12 के दौरान शून्य तक नीचे लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान थोड़ा सा कम हो गया। वित्तीय मानकों में प्रवाह अर्थात् राजस्व, वित्तीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2012-13 में क्रमश: ₹ 4,438 करोड़, ₹ 10,362 करोड़ तथा ₹ 5,618 करोड़ था 2013-14 में क्रमश: ₹ 3,875 करोड़, ₹ 8,314 करोड़ तथा ₹ 2,464 करोड़ तक कम हो गया।*
- *वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 5,850 करोड़), 2012-13 से 23 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा वित्तीय सुधार पथ (₹ 5,180 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 5,314 करोड़) से उच्चत्तर था परंतु मध्यम अवधि वित्तीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 6,302 करोड़) के भीतर था।*
- *राजस्व व्यय (₹ 41,887 करोड़) कुल व्यय (₹ 46,598 करोड़) का 90 प्रतिशत था तथा नान-प्लान घटक (₹ 31,735 करोड़) राजस्व व्यय का 76 प्रतिशत था जो तेरहवें वित्त आयोग के नार्मेटिव निर्धारण (₹ 22,138 करोड़) तथा वित्तीय सुधार पथ के प्रक्षेपण (₹ 31,135 करोड़) से अधिक था।*
- *दो विभागों के चालीस प्रोजेक्टस जो मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य पूर्ण किए जाने निर्धारित थे अभी भी अधूरे पड़े थे (जून 2014)। अधूरे प्रोजेक्टस के टाइम ओवररन कम किए जाने की जरूरत है।*
- *सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न गत पांच वर्षों में 0.02 से 0.17 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न था जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 9.22 से 9.86 प्रतिशत का औसत ब्याज भुगतान किया। 2013-14 के दौरान निवेशों का अधिकांश भाग (72 प्रतिशत) विभिन्न विद्युत कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में किया गया।*
- *भारत सरकार ने गत वर्ष की तुलना में ₹ 290.22 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 2,308.06 करोड़ ट्रांसफर किए। चूंकि ये निधियां राज्य बजट के माध्यम से पारित नहीं होती, वित्त लेखे केन्द्रीय सरकार संसाधनों के राज्य में निधि प्रवाह का पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करते।*

- *2013-14 के दौरान, ₹ 78,118.14 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरूद्ध ₹ 61,250.73 करोड़ का व्यय किया गया। विभिन्न अनुदानों में ₹ 17,197.08 करोड़ की बचत तथा दो अनुदानों में ₹ 329.67 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा ऑफसेट विनियोजन के कारण ₹ 16,867.41 करोड़ की समग्र बचतें थी, जो 2012-13 के ₹ 428.10 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त भारत के संविधान की धारा 205 के अंतर्गत विनियमित किए जाने अपेक्षित थे।*

- *46 मामलों में, ₹ 14,332.63 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में वापस किए गए। पांच मामलों में, ₹ 1,654.68 करोड़ वापस किए गए जो वास्तविक बचतों से ₹ 32.05 करोड़ अधिक थे तथा इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त 15 मामलों में ₹ 13,599.30 करोड़ की बचतों में से ₹ 2,967.99 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गई। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान तथा अनावश्यक अथवा अधिक पुनर्विनियोजन दोनों के उदाहरण थे।*

- *12 अनुदानों के अंतर्गत 17 मुख्य शीर्षों में ₹ 3,288.63 करोड़ (37 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2014 के माह के दौरान किया गया जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय के वेग को दर्शाता है तथा सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विरूद्ध था।*

- *2013-14 के दौरान ₹ 18,000 करोड़ की अनुमानित राशि के विरूद्ध प्लान व्यय केवल ₹ 15,712.16 करोड़ (87 प्रतिशत) था। ₹ 1,498.43 करोड़ के अनुमोदित प्लान परिव्यय वाली 143 स्कीमों में कोई व्यय नहीं किया गया तथा 299 स्कीमों में ₹ 7,348.08 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के विरूद्ध ₹ 3,984.63 करोड़ का व्यय किया गया।*

- *विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 3,691.25 करोड़ के ऋणों तथा अनुदानों के संबंध में 1,391 उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2014 को बकाया थे। 114 स्वायत निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 269 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2014 को बकाया थे। 28 स्वायत निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा राज्य द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है, में से छः ने गत 17 वर्षों से अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे।*

- *राज्य सरकार ने ₹ 1.58 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुरूपयोग, जालसाजी इत्यादि के 137 मामले सूचित किए जिन पर जून 2014 तक अंतिम कार्यवाही की जानी लंबित थी। इनमें से 120 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।*

- *2013-14 के दौरान कुल व्यय का 13.96 प्रतिशत तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.10 प्रतिशत, वित्त लेखाओं में अलग से वर्णित करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है।*

वित्त लेखाओं का सार

वर्ष 2013 – 14 की प्राप्तियां एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2012 – 13	2013 – 14	संवितरण	2012 – 13	2013 – 14		
					गैर – योजनागत	योजनागत	कुल
भाग – क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	33,633.53	38,012.08	राजस्व व्यय	38,071.72	31,735.01	10,152.09	41,887.10
कर – राजस्व	23,559.00	25,566.60	सामान्य सेवाएं	11,896.75	13,505.73	91.58	13,597.31
कर – भिन्न राजस्व	4,673.15	4,975.06	सामाजिक सेवाएं	14,516.35	8,167.73	7,245.68	15,413.41
संघीय करों / शुल्कों का हिस्सा	3,062.13	3,343.24	आर्थिक सेवाएं	11,556.73	9,925.37	2,814.83	12,740.20
भारत सरकार से अनुदान	2,339.25	4,127.18	सहायता अनुदान एवं अंशदान	101.89	136.18	–	136.18
भाग – ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	10.81	9.89	पूंजीगत परिव्यय	5,761.84	–1,132.12	5,066.72	3,934.60
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	349.38	261.85	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	521.99	282.26	493.35	775.61
लोक ऋण प्राप्तियां	15,213.54	17,604.16	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	5,951.37			7,968.47
आकस्मिक निधि	–	–	आकस्मिक निधि	–			–
लोक लेखा प्राप्तियां	22,708.90	26,548.06	लोक लेखा संवितरण	21,073.88			24,560.19
आरंभिक नकद शेष	2,161.75	2,697.11	अंतिम नकद शेष	2,697.11			6,007.18
कुल	74,077.91	85,133.15	कुल	74,077.91			85,133.15

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	39,589.62	2,312.68	41,902.30	36,022.03	(-)5,880.27
	II पूंजीगत	14,160.14	702.16	14,862.30	10,368.25	(-)4,494.05
	III ऋण एवं अग्रिम	1,083.55	5.74	1,089.29	775.61	(-)313.68
कुल दत्तमत		**54833.31**	**3,020.58**	**57,853.89**	**47,165.89**	**(-)10,688.00**
भारित	IV राजस्व	7,086.35	10.00	7,096.35	5,945.77	(-)1,150.58
	V पूंजीगत	63.00	0	63.00	61.81	(-)1.19
	VI लोक ऋण - पुनर्भुगतान	13,104.90	0	13,104.90	8,077.26	(-)5,027.64
कुल भारित		**20,254.25**	**10.00**	**20,264.25**	**14,084.84**	**(-)6,179.41**
आकस्मिक निधि से विनियोजन		--	--	--	--	--
कुल योग		**75,087.56**	**3,030.58**	**78,118.14**	**61,250.73**	**(-)16,867.41**

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय, राजस्व शीर्षों (₹ 80.71 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 6,495.46 करोड़) के अंतर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियां परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।

राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग – क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**20,993**	**25,564**	**30,558**	**33,634**	**38,012**
(i) कर राजस्व	**13,220(63)**	**16,790 (66)**	**20,399(67)**	**23,559(70)**	**25,567(67)**
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	9,032(68)	11,082 (66)	13,384(66)	15,377(65)	16,774(82)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,059(16)	2,366 (14)	2,832(14)	3,236(14)	3,697(18)
वाहनों पर कर	277(2)	457 (3)	740(4)	887(4)	1,095(5)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	1,294(10)	2,319 (14)	2,793(14)	3,326(14)	3,203(16)
भू-राजस्व	9	10	11	13	12
माल एवं यात्रियों पर कर	392(3)	387 (2)	429(2)	471(2)	498(2)
बिजली पर कर एवं शुल्क	120(1)	130 (1)	166	192(1)	219(1)
अन्य कर	37	39	44	57	69
(ii) कर-भिन्न राजस्व	**2,741(13)**	**3,421 (13)**	**4,722(15)**	**4,673(14)**	**4,975(13)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	**1,775(8)**	**2302 (9)**	**2,682(9)**	**3,062(9)**	**3,343(9)**
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	**3,257(16)**	**3,051 (12)**	**2,755(9)**	**2,340(7)**	**4,127(11)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**9**	**8**	**9**	**11**	**10**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**213**	**233**	**294**	**349**	**262**
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**21,215**	**25,805**	**30,861**	**33,994**	**38,284**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**8,455**	**9,843**	**10,767**	**15,213**	**17,604**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	8,320(98)	9,535 (97)	10,669(99)	15,162 (100)	17,263(98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	135(2)	308 (3)	98(1)	51	341(2)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**29,670**	**35,648**	**41,628**	**49,207**	**55,888**
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	**-**	**193**	**168**	**-**	**-**
8. लोक लेखे प्राप्तियां	**15,789**	**16,595**	**19,260**	**22,709**	**26,548**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**45,459**	**52,436**	**61,056**	**71,916**	**82,436**
भाग – रव व्यय/संवितर I					
10. राजस्व व्यय	**25,257**	**28,310**	**32,015**	**38,072**	**41,887**
योजनागत	5,715(23)	6,251 (22)	7,792(24)	9,456(25)	10,152(24)
योजनेत्तर	19,542(77)	22,059 (78)	24,223 (76)	28,616(75)	31,735(76)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	7,755(31)	9,328 (33)	10,220 (32)	11,897(31)	13,597(32)
आर्थिक सेवाएं	7,530(30)	7,997 (28)	9,054 (28)	11,557(30)	12,740(30)
सामाजिक सेवाएं	9,902(39)	10,904 (39)	12,641 (39)	14,516(38)	15,414(37)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	70(-)	81 (-)	99	102	136(1)
11. पूंजीगत व्यय	**5218**	**4,031**	**5,372**	**5,762**	**3,935**
योजनागत	4,203(81)	3,845 (95)	4,354 (81)	4,191(73)	5,067(129)
योजनेत्तर	1,015(19)	186 (5)	1,018 (19)	1,571(27)	(-)1,132 (-29)
सामान्य सेवाएं	187(4)	199 (5)	235 (5)	251(4)	282(7)
आर्थिक सेवाएं	3,961(76)	2,602 (65)	3,770 (70)	4,065(71)	1,829(46)
सामाजिक सेवाएं	1,070(20)	1,230 (31)	1,367 (25)	1,446(25)	1,824(46)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	**830**	**722**	**627**	**522**	**776**
13. कुल (10+11+12)	**31,305**	**33,063**	**38,014**	**44,356**	**46,598**
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	**2,746**	**3,971**	**4,037**	**5,951**	**7,968**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	2,576(94)	3,846 (97)	3,812 (94)	5,825(98)	7,800(98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	170(6)	125 (3)	225 (6)	126(2)	168(2)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	**-**	**190**	**-**	**-**	**-**
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**34,051**	**37,224**	**42,051**	**50,307**	**54,566**
17. आकस्मिक निधि संवितरण	**-**	**3**	**168**	**-**	**-**
18. लोक लेखे संवितरण	**14,320**	**15,324**	**17,051**	**21,074**	**24,560**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**48,371**	**52,551**	**59,270**	**71,381**	**79,126**
भाग ग – घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+)(1–10)	**(-)4,264**	**(-)2,746**	**(-) 1,457**	**(-)4,438**	**(-) 3,875**
21. राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+)(4–13)	**(-)10,090**	**(-)7,258**	**(-) 7,153**	**(-)10,362**	**(-) 8,314**
22. प्राथमिक घाटा (–)/आधिक्य (+) (21+23)	**(-)7,353**	**(-)3,939**	**(-) 3,152**	**(-)5,618**	**(-) 2,464**

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग – घ अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,737	3,319	4,001	4,744	5,850
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1,947	2,223	3,306	4,648	4,540
25. प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.)/ओवर ड्राफ्ट (दिन में)	170(7)	670(8)	974(11)	347(12)	109 (4)
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज[1]	0.05	1.16	1.51	0.78	0.03
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[2]	2,23,600	2,60,621	2,98,786	3,39,451	3,83,911
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	39,337	46,282	54,540	64,818	76,263
29. ब्याज तथा गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	4,536	4,528	5,608	21,124	27,309
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	15	21	8	14	40
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	30.00	41	186	48	398
भाग – ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन संघटन					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.059	0.064	0.068	0.069	0.067
स्वयं का कर – भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.012	0.013	0.016	0.014	0.013
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009
II व्यय प्रबन्ध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.140	0.127	0.127	0.131	0.121
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.491	1.293	1.244	1.319	1.226
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.807	0.856	0.842	0.858	0.899
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.364	0.367	0.368	0.360	0.370
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.374	0.321	0.337	0.352	0.313
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.167	0.122	0.141	0.130	0.084
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.161	0.116	0.135	0.124	0.078
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्ध					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.019	(-)0.011	(-)0.005	(-)0.013	(-)0.010
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-)0.045	(-)0.028	(-)0.024	(-)0.031	(-)0.022
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.033	(-)0.015	(-)0.011	(-)0.017	(-)0.006
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	0.423	0.378	0.204	0.428	0.466
प्राथमिक राजस्व शेष/स.रा.घ.उ.	(-)0.032	(-)0.021	(-)0.013	(-)0.018	(-)0.017
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.176	0.178	0.183	0.191	0.199
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	1.187	1.810	1.785	1.927	2.006
परिमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा	4.181	(-)0.457	(-)0.730	(-) 2.044	(-) 1.163
ऋण विमोचन (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	0.740	0.831	0.810	0.806	0.833
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	9.60	2.48	1.64	7.05	6.49
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	(-)117	2325	4977	3741	4406
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.80	0.77	0.78	0.75	0.74

1 अर्थोपाय अग्रिमों पर ₹ 0.03 करोड़ का ब्याज सात से दस *प्रतिशत* की दर पर दिया गया था।

2 आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण, हरियाणा के डायरेक्टोरेट द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

1. राज्य सरकार के वित्त	
वित्तीय घाटा, राजस्व घाटा तथा प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा, जो 2011-12 के दौरान शून्य तक नीचे लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान थोड़ा सा कम हो गया। वित्तीय मानकों में प्रवाह अर्थात् राजस्व, वित्तीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2012-13 में क्रमश: ₹ 4,438 करोड़, ₹ 10,362 करोड़ तथा ₹ 5,618 करोड़ था 2013-14 में क्रमश: ₹ 3,875 करोड़, ₹ 8,314 करोड़ तथा ₹ 2,464 करोड़ तक कम हो गया।
राजस्व प्राप्तियां	भारत सरकार से सहायतानुदान में 76 प्रतिशत वृद्धि के कार। राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष से 2013-14 के दौरान 13 प्रतिशत तक बढ़ गई। 2013-14 के लिए कर-राजस्व ते.वि.आ. द्वारा नियत लक्ष्यों के 9.01 प्रतिशत तक कम तथा कर-भिन्न राजस्व 70 प्रतिशत तक कम पड़ गया। भारत सरकार ने वर्ष के दौरान राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 2,308.06 करोड़ सीधे हस्तांतरित किए जो राज्य के बजट तथा वित्त लेखे में शामिल नहीं किए गए थे। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 929.53 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां 2011-13 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।
कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व	2009-14 के दौरान कर राजस्व (₹ 25,567 करोड़) ₹ 12,347 करोड़ (93 प्रतिशत) तक बढ़ गया। 2013-14 के दौरान स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण तथा भू-राजस्व में कमी को छोड़कर सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने कर राजस्व में वृद्धि दर्ज की। बिक्री कर, राज्य आबकारी तथा वाहनों पर करों में प्रमुख वृद्धि थी। 2009-14 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 2,234 करोड़ (82 प्रतिशत) तक बढ़ गई। कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,975 करोड़) ने गत वर्ष पर ₹ 302 करोड़ (6.46 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए 2013-14 के दौरान कुल प्राप्ति का 13 प्रतिशत संघटित किया।
व्यय	वर्ष के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 90 प्रतिशत था। इसका गै.यो.रा.व्य. घटक ₹ 31,735 करोड़, ते.वि.आ. (₹ 22,138 करोड़) के प्रक्षेपण से 43 प्रतिशत अधिक था जिसमें से 87 प्रतिशत व्यय चार संघटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियों, पैंशन देयताओं, ब्याज भुगतान और सबसीडियों पर किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल सबसीडियों (₹ 5,681 करोड़) का 92 प्रतिशत (₹ 5,206 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के लिए था।

प्रतिबद्ध व्यय	वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 21,695 करोड़) सरकार द्वारा इसके रा.सु.प. (₹ 20,250 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 1,445 करोड़ (सात प्रतिशत) अधिक था तथा ते.वि.आ. में प्रक्षेपित 36 प्रतिशत के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियों का 57 प्रतिशत उपयुक्त किया। चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान तथा सबसिडी में 2013-14 के दौरान गै.यो.रा.व्य. का लगभग 87 प्रतिशत संघटित किया।
निवेशों पर कम प्रतिलाभ	सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न गत पांच वर्षों में 0.02 से 0.17 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न था जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 9.22 से 9.86 प्रतिशत का औसत ब्याज भुगतान किया। 2013-14 के दौरान निवेशों का अधिकांश भाग (72 प्रतिशत) विभिन्न विद्युत कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में किया गया।
कुल ऋणता	राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2012-13 में ₹ 64,818 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 76,263 करोड़ हो गई। लोक ऋण (₹ 9,636 करोड़) और लोक खाता देयताओं (₹ 1,809 करोड़) में बढ़ोतरी के कारण पिछले साल से 2013-14 के दौरान वृद्धि दर 17.66 प्रतिशत थी। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई और 2009-10 में 17.59 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 19.86 प्रतिशत हो गया। 2013-14 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का दो गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 2.50 गुणा थी। वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 5,850 करोड़ (7.67 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 76,263 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2013-14 में सरकार द्वारा बनाए गए म.अ.रा.नी.वि. में प्रोजेक्टिड ₹ 72,882 करोड़ तथा रा.सु.प. (₹ 67,770 करोड़) की सीमा से अधिक थी।

2. वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण	
अधिक व्यय विनियमित नहीं किया गया	2013-14 के दौरान, ₹ 78,118.14 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरूद्ध ₹ 61,250.73 करोड़ का व्यय किया गया। विभिन्न अनुदानों में ₹ 17,197.08 करोड़ की बचत तथा दो अनुदानों में ₹ 329.67 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा ऑफसेट विनियोजन के कारण ₹ 16,867.41 करोड़ की समग्र बचतें थी, जो 2012-13 के ₹ 428.10 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त भारत के संविधान की धारा 205 के अंतर्गत विनियमित किए जाने अपेक्षित थे।

अनावश्यक / अपर्याप्त पूरक प्रावधान	20 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 542.29 करोड़ के पूरक प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में आवेष्टित ₹ 50 लाख या इससे अधिक अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया। अनुदान संख्या 6 (वित्त) में ₹ 229.29 करोड़ के पूरक प्रावधान ₹ 110.38 करोड़ के अधिक व्यय के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुए।
प्रावधान के बिना व्यय	20 मामलों में मूल अनुदानों/पूरक मांगों में किसी प्रावधान के बिना तथा इस संबंध में किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 516.46 करोड़ का व्यय किया गया।
वापस सौंपी न गई / अधिक सौंपी गई निधियां	15 मामलों में ₹ 13,599.30 करोड़ की बचतों के विरूद्ध केवल ₹ 10,631.31 करोड़ सौंपे गए तथा ₹ 2,967.99 करोड़ की बचतें नहीं सौंपी गई। पांच मामलों में ₹ 1,622.63 करोड़ की बचतों के विरूद्ध ₹ 1,654.68 करोड़ सौंपे गए परिणामत: ₹ 32.05 करोड़ अधिक सौंपे गए तथा दो मामलों में यद्यपि वास्तविक व्यय ₹ 323.64 करोड़ तक अधिक थे, परंतु फिर भी ₹ 168.67 करोड़ की निधियां अनुचित रूप से वापस सौंपी गई।

3. वित्तीय रिपोर्टिंग	
उपयोगिता प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	31 मार्च 2014 को ₹ 3,691.25 करोड़ की कुल राशि के 1,391 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। 747 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (54 प्रतिशत) ग्रामीण विकास विभाग से बकाया थे। 466 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (34 प्रतिशत) 2008-09 तथा 2011-12 की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए बकाया थे।
लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण / प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	114 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें ₹ 683.61 करोड़ के अनुदान जारी किए गए थे, के कुल 269 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2014 तक प्रतीक्षित थे।
चोरी, हानियां, गबन, इत्यादि	चोरी, हानियों तथा गबन, इत्यादि के मामलों का निर्णय करने में असाधारण विलंब था जो एक तथा 25 वर्षों से अधिक के मध्य श्रृंखलित रहा।
बहुप्रयोजन लघु शीर्ष – 800 का परिचालन	2013-14 के दौरान कुल ₹ 6,509.40 करोड़ (कुल व्यय का 13.96 प्रतिशत) का व्यय राजस्व तथा पूंजीगत दोनों भागों में नौ मुख्य शीर्षों के विरूद्ध लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, कुल ₹ 1,559.40 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.10 प्रतिशत) की राशि की राजस्व प्राप्तियां 16 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत वर्गीकृत थी।

2015 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2
सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

इस प्रतिवेदन में (i) माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली; (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन; तथा (iii) शहरी संपदाओं का विकास, पर तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा अधिक, अनियमित, निष्फल व्यय, परिहार्य भुगतान, राज्य सरकार को हानि, नियमों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियां इत्यादि से संबंधित 23 अनुच्छेद शामिल हैं।

विशिष्टताएं

निष्पादन लेखापरीक्षा – माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली

- 2009-14 के दौरान योजनागत के अंतर्गत ₹ 56.23 करोड़ एवं ₹ 542.51 करोड़ के मध्य तथा गैर-योजनागत के अंतर्गत ₹ 67.50 करोड़ एवं ₹ 606.40 करोड़ के मध्य पर्याप्त बचतें थी। ₹ 8.87 करोड़ राशि की निधियां सरकारी खाते से बाहर रखी गई थी। सर्विस प्रोवाइडर को अदेय लाभ दिया गया। सर्विस प्रोवाइडर द्वारा स्थापित सू.सं.प्रौ. प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली 123 स्कूलों में से 102 द्वारा घटिया मूल्यांकित की गई थी। व्यय किए गए ₹ 39.75 लाख के व्यय के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल के पास वाउचर उपलब्ध नहीं थे। कक्षा 12 एवं 10 के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता क्रमश: 89.33 से 71.16 तक और 79.58 से 49.78 तक तीव्रता से घट गई। विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों का फीस ढांचा मानीटर नहीं किया गया था। अपग्रेड किए गए 91 स्कूलों में से 55 स्कूल निर्धारित मानक पूर्ण नहीं कर रहे थे। चूंकि प्रधानाचार्यों, मुख्य अध्यापकों एवं लैक्चररों के कैडर में 37,236 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध वास्तविक तैनाती 10,979 थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

- ग्रामीण स्तर पर आधार रेखा सर्वेक्षण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सा.स्वा.के.) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रा.स्वा.के.) के सुविधा सर्वेक्षण 2013-14 तक आयोजित नहीं किए गए। चिकित्सा तथा अर्द्धचिकित्सा स्टाफ की कमी के अतिरिक्त, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सा.स्वा.के.), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (प्रा.स्वा.के.) तथा उप-केंद्रों (उ.कें.) की कमी थी। नमूना-जांच किए गए सामान्य अस्पतालों, सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में अनिवार्य दवाइयों की कमी थी। विभाग द्वारा मामलों, जहां एक फर्म अन्य निगम/राज्य द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई है, से संव्यवहार के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए गए थे। 2009-14 के दौरान 7.14 लाख मोतियाबिंद आप्रेशन किए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध 6.42 लाख मोतियाबिंद आप्रेशन किए गए। अपवर्तक त्रुटियुक्त 1,22,966 विद्यार्थियों की पहचान के विरूद्ध केवल 44,320 विद्यार्थियों को ऐनक प्रदान की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा – शहरी संपदाओं का विकास

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आयोजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय आयोजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना के सामंजस्य में नहीं की गई थी। भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा भू-स्वामियों के मामलों को न्यायालयों के पास भेजने तथा भूमि के बढ़े हुए मुआवजे की अदायगी करने में विलंब के कारण ब्याज की अतिरिक्त अदायगी हुई। गुड़गांव में आटो मार्किट के विकास पर ₹ 2.46 करोड़, पांच सीवर और स्टोर्म वाटर ड्रेनज के निष्पादन पर ₹ 19.52 करोड़ और चार सड़क निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ₹ 1.90 करोड़ की राशि, कार्यों के घटिया कार्यान्वयन के कारण निष्फल बना दी गई/अवरूद्ध रही। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 'आशियाना स्कीम' के अंतर्गत उचित सर्वेक्षण किए बिना ₹ 93.88 करोड़ की लागत पर निर्मित 2,563 मकान, पात्र व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण अनाबंटित रहे। कालोनाइजरों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास में पारदर्शिता और निरंतरता की कमी, कालोनाइजरों के आवेदन पत्र प्रोसेस करने, वित्तीय पर्याप्तता निर्धारित करने तथा लाईसैंसों के हस्तांतरण इत्यादि में देखी गई। परिणामत:, विशेष आवेदकों को अनुचित लाभ देने की संभावना का पता नहीं लगाया जा सकता। पांच विकासकों ने परियोजनाओं को पूर्ण किए बिना भूमि की बिक्री पर ₹ 52.26 करोड़ की लागत पर ₹ 215.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

अनुपालन लेखापरीक्षा
➢ *73 एकड़ भूमि की लागत के रूप में ₹ 28.96 करोड़ की राशि तथा इस राशि पर ₹ 12.35 करोड़ ब्याज के रूप में हैफेड से वसूल किए जाने शेष थे।*
➢ *28 संस्थागत शौचालयों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था या अधूरा पड़ा रहा। ठोस एवं द्रव्य कचरा प्रबंधन परियोजनाएं आरंभ नहीं की गई थी। 196 सामुदायिक शौचालयों के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 113 शौचालयों का निर्माण किया गया।*
➢ *उच्च दरों पर ड्यूल डैस्क की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 7.61 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।*
➢ *हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा स्वास्थ्य विभाग ने बायो-मैडिकल वेस्ट (मैनेजमैंट एण्ड हैंडलिंग) नियम, 1998 लागू नहीं किए।*
➢ *विभिन्न सरकारी विभागों ने हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम से अप्रयुक्त निधियों पर ₹ 20.21 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं की।*
➢ *ड्रग टैस्टिंग लैबोरेट्री तथा राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी के निर्माण पर ₹ 3.40 करोड़ का किया गया व्यय निष्फल रहा।*
➢ *अधिकारियों तथा आपरेशनल पुलिस फोर्स की कमी के बावजूद कुछ कार्यालयों में संस्वीकृत संख्या के आधिक्य में पुलिस कार्मिक तैनात थे। फारेंसिक साईस लेबोरेटरी में कमी 50 प्रतिशत तक थी। राज्य में अपराध अनुपात पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक था।*
➢ *जैव खेती स्कीम के अंतर्गत चार सेवा प्रदाताओं द्वारा ₹ 1.58 करोड़, जो फार्म निवेशों के लिए अभिप्रेत थे, स्टॉफ वेतन हेतु विपथित किए गए थे। नए बागान स्कीम के अंतर्गत पौधों की उत्तरजीविता दर बहुत कम थी। 237 सामुदायिक टैंक अधूरे थे और पौधा स्वास्थ्य क्लीनिक अपेक्षित उद्देश्य हेतु प्रयुक्त नहीं किए गए थे।*
➢ *जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बोर्ड द्वारा बचत बैंक खातों के प्रचालन के संबंध में कार्यक्रम दिशानिर्देशों की अननुपालना के परिणामस्वरूप ₹ 5.51 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।*
➢ *₹ 1.24 करोड़ का भारत सरकार अनुदान प्राप्त नहीं किया जा सका तथा पुराने विनिर्देशनों के साथ 8,691 स्ट्रीट लाइटों के प्रापण पर ₹ 3.78 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। ₹ 2.96 करोड़ का लाभभोगी हिस्सा वसूलनीय था और एजेंसी को अनुचित लाभ दिया गया था।*
➢ *बसों की उपलब्धता के बिना परिचालकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 9.93 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।*
➢ *1,082 दावेदारों को विवाह शगुन जारी करने में पांच से 32 माह का विलंब देखा गया। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम के अंतर्गत सही सत्यापन के बिना 5,153 लाभार्थियों को ₹ 10.95 करोड़ भुगतान किए गए। 4,000 कन्या विद्यार्थी योग कक्षाओं तथा स्वयं सुरक्षा प्रशिक्षण से वंचित रखी गई। 2009-14 अवधि के दौरान जींद तथा हिसार में कन्या शिशु का अनुपात घट गया था।*

निष्पादन लेखापरीक्षा

1 माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली

माध्यमिक शिक्षा, शैक्षिक अनुक्रम में एक निर्णायक चरण है क्योंकि यह विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा और बाद में लाभदायी रोजगार के लिए भी तैयार करती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

पर्याप्त बचतें	2009-14 के दौरान योजनागत के अंतर्गत ₹ 56.23 करोड़ एवं ₹ 542.51 करोड़ के मध्य तथा योजनेतर के अंतर्गत ₹ 67.50 करोड़ एवं ₹ 606.40 करोड़ के मध्य पर्याप्त बचतें थी। ₹ 8.87 करोड़ राशि की निधियां सरकारी खाते से बाहर रखी गई थी।
सर्विस प्रोवाइडर को अदेय लाभ	कंट्रेक्ट एग्रीमेंट के उल्लघंन में ₹ 1.06 करोड़ की अतिरिक्त अदायगी के द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं के अनुरक्षण हेतु सर्विस प्रोवाइडर को अदेय लाभ दिया गया। सर्विस प्रोवाइडर द्वारा स्थापित सू.सं.प्रौ. प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली 123 स्कूलों में से 102 द्वारा घटिया मूल्यांकित की गई थी।
सरकारी धन का संभावित दुरूपयोग/गबन	₹ 39.75 लाख के व्यय के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल के पास वाउचर उपलब्ध नहीं थे तथा जि.शि.अ., नूंह द्वारा ₹ 4.99 लाख की सामग्री की अप्राप्ति थी, जो कि सरकारी धन के दुरूपयोग/गबन की राशि हो सकती है।
विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता में कमी तथा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रभारित फीस पर मानीटरिंग की कमी	कक्षा 12 एवं 10 के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता क्रमश: 89.33 से 71.16 तक और 79.58 से 49.78 तक तीव्रता से घट गई। विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों का फीस ढांचा मानीटर नहीं किया गया था।
स्कूलों के अपग्रेडेशन तथा टीचिंग कैडरों में रिक्तियों के मानकों का अनुसरण नहीं किया गया	नमूना-जांच किए जिलों में अपग्रेड किए गए 91 स्कूलों में से 55 स्कूल क्लासरूमज, विद्यार्थियों की संख्या, स्कूल परिसरों के क्षेत्र इत्यादि के निर्धारित मानक पूर्ण नहीं कर रहे थे। चूंकि प्रधानाचार्यों, मुख्य अध्यापकों एवं लैक्चररों के कैडर में 37,236 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध वास्तविक तैनाती 10,979 थी।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

ग्रामीण लोगों विशेषत: निर्धन एवं कमजोर वर्गों के लोगों को सुगम, संभव एवं गुणवत्ता स्वास्थ्य देख-भाल प्रदान करने के विचार से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) अप्रैल 2005 में आरंभ किया गया। रा.ग्रा.स्वा.मि. की नीति, स्वास्थ्य देख-भाल सुविधाओं में अंतराल को पूरा करना तथा स्वास्थ्य सैक्टर में विकेंद्रीयकृत आयोजना की सुविधा प्रदान करना है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

आधार रेखा सर्वेक्षण नहीं किया गया	समग्र मिशन अवधि के लिए परिदृश्य योजना तैयार करने को सरल बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर आधार रेखा सर्वेक्षण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सा.स्वा.के.) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रा.स्वा.के) के सुविधा सर्वेक्षण 2013-14 तक नहीं किए गए।

सा.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. तथा उप.के. और चिकित्सा तथा अर्द्धचिकित्सा स्टाफ की कमी	राज्य में चिकित्सा तथा अर्द्धचिकित्सा स्टाफ की 7 तथा 30 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित कमी के अतिरिक्त, 125 सा.स्वा.के., 501 प्रा.स्वा.के. तथा 3,006 उप-केंद्रों(उ.कें.) की आवश्यकता के विरूद्ध 112 सा.स्वा.के., 485 प्रा.स्वा.के. तथा 2,630 उप.के. उपलब्ध थे।
अनिवार्य दवाइयों तथा आशा के लिए औषधि किटों की आंशिक उपलब्धता। ब्लैकलिस्ट की गई फर्म से अवशोषक सूती ऊन का प्रापण	2010-14 के दौरान नमूना-जांच किए गए सामान्य अस्पतालों, सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में अनिवार्य दवाइयों की कमी थी। राज्य में 16,800 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में से 4,800 को औषधि किट प्रदान नहीं की गई। विभाग द्वारा मामलों, जहां एक फर्म अन्य निगम/राज्य द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई है, से संव्यवहार के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए गए थे।
गर्भवती महिलाओं द्वारा जांच की कमी। प्रोत्साहनों का भुगतान न करना/विलंबित भुगतान	प्रथम तिमाही के समय पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की बृहद् संख्या प्रसवपूर्व जांच के लिए नहीं दर्शाई गई। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अत्यधिक विलंब/प्रोत्साहनों के भुगतान न करने के मामले थे।
मोतियाबिंद आप्रेशन तथा ऐनकें प्रदान करने के लक्ष्यों की अप्राप्ति	2009-14 के दौरान 7.14 लाख मोतियाबिंद आप्रेशन किए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध 6.42 लाख मोतियाबिंद आप्रेशन किए गए। अपवर्तक त्रुटियुक्त 1,22,966 विद्यार्थियों की पहचान के विरूद्ध केवल 44,320 विद्यार्थियों को ऐनक प्रदान की गई।

3. शहरी संपदाओं का विकास

राज्य विधानसभा ने, चल एवं अचल, दोनों संपति के अधिग्रहण, विक्रय एवं निपटान के अधिकार के साथ सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध ढंग से शहरी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 बनाया।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

रा.रा.क्षे.आ.बो. की योजना के सामंजस्य में आयोजना नहीं की गई	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आयोजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय आयोजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना के सामंजस्य में नहीं की गई थी।
मामलों को न्यायालयों के पास भेजने में विलंब तथा भूमि के बढ़े हुए मुआवजे की अदायगी करने में विलंब के कारण ब्याज की अतिरिक्त अदायगी	भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा भू-स्वामियों के मामलों को न्यायालयों के पास भेजने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ के ब्याज की अतिरिक्त अदायगी हुई। आगे, भूमि के बढ़े हुए मुआवजे की अदायगी करने में विलंब के कारण ₹ 4.67 करोड़ के ब्याज की अतिरिक्त अदायगी हुई।

आटो मार्किट के विकास, सीवर और स्टोर्म वाटर ड्रेनेज कार्यों तथा सड़कों के विकास पर निष्फल व्यय	गुड़गांव में आटो मार्किट के विकास पर ₹ 2.46 करोड़, पांच सीवर और स्टोर्म वाटर ड्रेनज के निष्पादन पर ₹ 19.52 करोड़ और चार सड़क निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ₹ 1.90 करोड़ की राशि, कार्यों के घटिया कार्यान्वयन के कारण निष्फल बना दी गई/अवरूद्ध रही।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 'आशियाना स्कीम' के अंतर्गत उचित सर्वेक्षण किए बिना फ्लैट बनाए गए	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 'आशियाना स्कीम' के अंतर्गत उचित सर्वेक्षण किए बिना ₹ 93.88 करोड़ की लागत पर निर्मित 2,563 मकान, पात्र व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण अनाबंटित रहे।
वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास में पारदर्शिता और निरंतरता की कमी	कालोनाइजरों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास में पारदर्शिता और निरंतरता की कमी, कालोनाइजरों के आवेदन पत्र प्रोसेस करने, विकसित किए जाने वाले क्षेत्र की सघनता का निर्णय लेने, आंतरिक सड़कों के विकास, वाणिज्यिक कालोनियां स्थापित करने के लिए क्षेत्र मानकों के नियत करने, वित्तीय पर्याप्तता के निर्धारण करने, विकास योजना की व्याख्या करने और लाईसैंसों के हस्तांतरण, इत्यादि में देखी गई। परिणामतः, विशेष आवेदकों को अनुचित लाभ देने की संभावना का पता नहीं लगाया जा सका। पांच विकासकों ने परियोजनाओं को पूर्ण किए बिना भूमि की बिक्री पर ₹ 52.26 करोड़ की लागत पर ₹ 215.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया।
कालोनाइजरों पर अपर्याप्त नियंत्रण	हाऊसिंग स्कीमों को चलाने के लिए कालोनाइजरों के विज्ञापन पर विभाग द्वारा अपर्याप्त मानीटरिंग के कारण एक कालोनाइजर द्वारा आवेदकों से ₹ 55 करोड़ का अनधिकृत संग्रहण हुआ।

अनुपालन लेखापरीक्षा

कृषि विभाग (हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड)	
भूमि की लागत की अवसूली	73 एकड़ भूमि की लागत के रूप में ₹ 28.96 करोड़ की राशि तथा इस राशि पर ₹ 12.35 करोड़ ब्याज के रूप में हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) से वसूल किए जाने शेष थे।

विकास एवं पंचायत विभाग	
संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान	22 ग्राम पंचायतों में 28 संस्थागत शौचालयों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था या अधूरा पड़ा रहा। ठोस एवं द्रव्य कचरा प्रबंधन परियोजनाएं आरंभ नहीं की गई थी। 196 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 113 शौचालयों का निर्माण किया गया, 133 लाभर्थियों को शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किए बिना ₹ 3.46 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई तथा ₹ 3.10 लाख की प्रोत्साहन राशि का दो बार भुगतान किया गया।
शिक्षा विभाग	
डयूल डैस्कों के प्रापण पर परिहार्य व्यय	उच्चतर दरों पर डयूल डैस्क की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 7.61 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।
पर्यावरण विभाग (हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) तथा स्वास्थ्य विभाग	
हरियाणा में बायो-मैडिकल वेस्ट प्रबंधन नियमों का कार्यान्वयन	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा स्वास्थ्य विभाग ने बायो-मैडिकल वेस्ट (मैनेजमैंट एण्ड हैंडलिंग) नियम, 1998 लागू नहीं किए क्योंकि बायो-मैडिकल वेस्ट (बा.मै.वे.) उत्पन्न करने वाली स्थापनाओं की पहचान नहीं की गई थी तथा प्राधिकृत स्वास्थ्य देख-रेख स्थापनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था। बायो-मैडिकल वेस्ट, रंग कोडिड कंटेनरों में अलग-अलग नहीं किए जा रहे थे न ही उचित प्रकार से निपटान किए जा रहे थे।
वित्त विभाग	
अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज का दावा न करना	विभिन्न सरकारी विभागों ने हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (ह.रा.स.पु.वि.नि.) से अप्रयुक्त निधियों पर ₹ 20.21 करोड़ का ब्याज वसूल नहीं किया।
स्वास्थ्य विभाग	
अक्रियाशील ड्रग टैस्टिंग लैबोरेट्री तथा राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी पर निष्फल व्यय	ड्रग टैस्टिंग लैबोरेट्री तथा राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी के निर्माण पर ₹ 3.40 करोड़ का किया गया व्यय मानव शक्ति की अनुपलब्धता के कारण निष्फल रहा।
गृह विभाग	
पुलिस विभाग में मानव शक्ति की तैनाती	अधिकारियों तथा आपरेशनल पुलिस फोर्स की कमी के बावजूद कुछ कार्यालयों में संस्वीकृत संख्या के आधिक्य में पुलिस कार्मिक तैनात थे। फारेंसिक साईस लेबोरेट्री में कमी 50 प्रतिशत तक थी परिणामत: सैम्पलों की लंबनता में वृद्धि हुई। राज्य में अपराध अनुपात पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक था।

बागवानी विभाग	
राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का क्रियान्वयन	जैव खेती स्कीम के अंतर्गत चार सेवा प्रदाताओं द्वारा ₹ 1.58 करोड़, जो फार्म निवेशों के लिए अभिप्रेत थे, स्टॉफ वेतन हेतु विपथित किए गए थे। नए बागान स्कीम में पौधों की उत्तरजीविता दर बहुत कम थी। 237 सामुदायिक टैंक अधूरे थे और पौधा स्वास्थ्य क्लीनिक अपेक्षित उद्देश्य हेतु प्रयुक्त नहीं किए गए थे।
जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बोर्ड)	
बैंक के साथ करार न करने के कारण ब्याज की हानि	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बोर्ड द्वारा बचत बैंक खातों के प्रचालन के संबंध में कार्यक्रम दिशानिर्देशों की अननुपालना के परिणामस्वरूप ₹ 5.51 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।
अक्षय ऊर्जा विभाग (हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी)	
सोलर स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम कार्यक्रम का कार्यान्वयन	लाभभोगी विभाग से लिखित सहमति प्राप्त न करने के कारण ₹ 1.24 करोड़ का भारत सरकार अनुदान प्राप्त नहीं किया जा सका तथा पुराने विनिर्देशनों के साथ कम कार्य जीवन वाली 8,691 स्ट्रीट लाइटों के प्रापण पर ₹ 3.78 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। ₹ 2.96 करोड़ का लाभभोगी हिस्सा वसूलनीय था और एजेंसी को अनुचित लाभ दिया गया था।
परिवहन विभाग	
आवश्यकता से अधिक बस परिचालकों की नियुक्ति	बसों की उपलब्धता के बिना परिचालकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 9.93 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता तथा शिक्षा विभाग	
'कन्या शिशु के कल्याण तथा सुरक्षा' की स्कीमों के कार्यान्वयन में कमियां	1,082 दावेदारों को विवाह शगुन जारी करने में पांच से 32 माह का विलंब देखा गया। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम के अंतर्गत सही सत्यापन के बिना 5,153 लाभार्थियों को ₹ 10.95 करोड़ भुगतान किए गए। 4,000 कन्या विद्यार्थी योग कक्षाओं तथा स्वयं सुरक्षा प्रशिक्षण से वंचित रखी गई। 2009–14 अवधि के दौरान जींद तथा हिसार में कन्या शिशु का अनुपात घट गया था।

2014 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3
राजस्व सेक्टर

इस प्रतिवेदन में ₹ 527.46 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित **'हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली' (हैरिस)** पर एक आई.टी. लेखापरीक्षा तथा 23 अनुच्छेद शामिल हैं। विभागों/सरकार ने ₹ 323.74 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की हैं जिनमें से ₹ 0.91 करोड़ वसूल किए गए हैं।

विशिष्टताएं

- पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री (चार मामले), न बेचे गए माल (नौ मामले), पूर्व-स्वामित्व प्राप्त कारों (12 मामले), पेंटस (आठ मामले), आई.टी.सी. के बोगस दावे (तीन मामले), आई.टी.सी. के अधिक लाभ (14 मामले) तथा आगे ले जाए गए गलत आई.टी.सी. (आठ मामले) के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 24.22 करोड़ के अस्वीकार्य आई.टी.सी. के दावे हुए।
- टर्नकी कांट्रेक्टरों को पारगमन बिक्री (19 मामले), हाई सी सेलज (चार मामले) की अनियमित कटौती अनुमत की तथा आयात के दौरान बिक्री (दो मामले) की गलत कटौती के परिणामस्वरूप ₹ 195.38 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। ई-I तथा 'सी' फार्मों के विरूद्ध 32 मामलों में छूट प्राप्त (पारगमन) बिक्री के दावे गलती से अनुमत किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.69 करोड़ के वैट का अवनिर्धारण हुआ।
- अनुबंध शर्तों की जोखिम एवं लागत धारा के अंतर्गत बिक्रियों की पुनः नीलामी के पश्चात् रिटेल लिकर आऊटलैटस के 74 चूककर्ता आबंटियों से ₹ 23.70 करोड़ की लाइसैंस फीस की अन्तरीय राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- एम.सी. सीमा के भीतर आने वाली भूमि तथा प्राइम भूमि/कालोनियों/वार्डों/सैक्टरों के कलैक्टर रेट लिस्ट में खसरा नंबर की पहचान तथा रिकार्ड करने में विफल रहने तथा कलैक्टरों द्वारा दो माह के भीतर निर्णीत किए गए मामलों के अनुदेशों का अनुसरण न किए जाने के परिणामस्वरूप 782 मामलों में ₹ 14.75 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।
- पांच कांट्रेक्टरों से बोली धन वसूल करने के लिए समयपूर्व कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.43 करोड़ (₹ 2.55 करोड़ के ब्याज सहित) की कम वसूली हुई। 151 बी.के.ओज से ₹ 66.27 लाख की रायल्टी तथा ब्याज वसूल नहीं किया गया।
- सिटी बस सर्विस के लिए प्राइवेट आपरेटरों को जारी किए गए 194 परमिटों (फरीदाबादः 67 तथा गुड़गांवः 127) के संबंध में ₹ 7.55 करोड़ की अड्डा फीस तथा वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए 10 डिपुओं के संबंध में ₹ 16.83 लाख की राशि का सेवा कर, शॉप कांट्रेक्टरों से एकत्र नहीं किया गया। मुफ्त/रियायत सुविधा के संबंध में 31 मार्च 2014 को विभिन्न विभागों से ₹ 571.08 करोड़ की राशि लंबित थी।

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2013-14 के लिए हरियाणा सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 2012-13 के दौरान ₹ 33,633.53 करोड़ के विरूद्ध ₹ 38,012.08 करोड़ थी। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इसके अपने स्रोतों से उगाहा गया राजस्व गत वर्ष 2012-13 के दौरान क्रमश: ₹ 23,559.00 करोड़ तथा ₹ 4,673.15 करोड़ के विरूद्ध कर राजस्व से ₹ 25,566.60 करोड़ तथा कर-भिन्न राजस्व से ₹ 4,975.06 करोड़ से समायुक्त ₹ 30,541.66 करोड़ था।

₹ 16,774.33 करोड़ की बिक्री कर प्राप्तियां तथा ₹ 1,104.54 करोड़ की शहरी विकास प्राप्तियां, कर तथा कर-भिन्न राजस्व की क्रमश: 66 *प्रतिशत* तथा 22 *प्रतिशत* थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

₹ 3,084.83 करोड़ के धन मूल्य वाली 4,579 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन (दिसम्बर 2013 तक जारी किए गए) विभागों से अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा में जून 2014 के अन्त तक बकाया थे।

लेखापरीक्षा के परिणाम

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद-शुल्क, मोटर वाहन, माल एवं यात्री तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 250 यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2013-14 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 5,383 मामलों में ₹ 1,625.53 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकट की।

प्रणाली मूल्यांकन/आई.टी. लेखापरीक्षा

• हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली (हैरिस)

हैरिस आई.टी. ऐप्लिकेशन में इनपुट नियंत्रणों की कमी के कारण 254 बिक्री दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण हुआ परिणामत: ₹ 70.90 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट दी गई।

विनिमय की जा रही संपत्तियों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए ऐप्लिकेशन के त्रुटिपूर्ण डिजाइन के परिणामस्वरूप 13 मामलों में ₹ 4.06 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली हुई।

एम.सी. की सीमा के भीतर आने वाले स्थानों की नॉन-मैपिंग के कारण 3,497 मामलों में ₹ 31.62 करोड़ के दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ।

आई.टी. ऐप्लिकेशन में उचित वैधता नियंत्रण शामिल न करने के कारण 334 दस्तावेजों में ₹ 70.25 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की गलत छूट दी गई।

एम.सी. सीमा के भीतर 1,000 वर्गगज से कम क्षेत्र वाले किए गए लेन-देनों पर वैधता नियंत्रण की कमी के कारण 1,213 मामलों में ₹ 19.90 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

हस्तलिखित रोकड़ बही में दर्ज की गई प्राप्तियों की प्रविष्टियों का सिस्टम जेनरेटिड रोकड़ बही से मिलान करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 74.83 लाख की कमी हुई।

अनुच्छेदों के रूप में शामिल महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

बिक्री कर/वैट (आबकारी एवं कराधान विभाग)

वर्ष 2009-10 से 2010-11 के लिए जाली 'सी' फार्मों के विरूद्ध, जो डीलरों को जारी नहीं किए गए थे, छूट/रियायतें अनुमत की गई थी, परिणामत: ₹ 2.50 करोड़ की पेनल्टी सहित ₹ 3.33 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ।

डीलर को एस.ई.जैड. बिक्री के आधार पर ₹ 107.88 करोड़ की अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप दो मामलों में ₹ 3.65 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 8.03 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

स्टाम्प शुल्क (राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग)

10 एग्रीमेंटस में विक्रय के लिए एग्रीमेंट की बजाय सामूहिक एग्रीमेंटस के रूप में बिक्री विलेख गलत वर्गीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.32 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (आबकारी एवं कराधान विभाग)

53 प्राइवेट बस आपरेटरों के संबंध में विभाग द्वारा ₹ 10.20 लाख के ब्याज सहित ₹ 34.67 लाख की राशि का यात्री कर वसूल नहीं किया गया।

2015 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र)

संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में परिहार्य व्यय, नियमों, डायरेक्टिवज तथा प्रक्रियाओं का पालन न करने, वित्तीय हितों को सुरक्षित न करने इत्यादि से संबंधित ₹ 1,118.40 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित 'वित्तीय पुनर्गठन योजना' तथा 'हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित 11 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

हरियाणा राज्य में 24 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) (22 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम) और 4 अकार्यरत कंपनियां थी। 31 मार्च 2014 को 28 सा.क्षे.उ. में निवेश (पूंजीगत एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 39,383.18 करोड़ था। राज्य सा.क्षे.उ. के कुल निवेश का 99.70 प्रतिशत कार्यरत सा.क्षे.उ. में था तथा शेष 0.30 प्रतिशत अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। कुल निवेश में पूंजीगत का 21.95 प्रतिशत तथा दीर्घ अवधि ऋणों का 78.05 प्रतिशत शामिल था। इक्विटी 2009-10 में ₹ 6,867.94 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 8,643.43 करोड़ हो गई। राज्य सरकार ने 2013-14 के दौरान 13 सा.क्षे.उ. में इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों के लिए ₹ 10,748.50 करोड़ का अंशदान दिया।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

24 कार्यरत सा.क्षे.उ., जिनके लेखे सितंबर 2014 तक प्राप्त किए गए थे, में से 15 सा.क्षे.उ. ने ₹ 118.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा आठ सा.क्षे.उ. ने ₹ 4,032.54 करोड़ की हानियां उठाई। एक कंपनी को अभी वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने हैं। ₹ 118.21 करोड़ का कुल लाभ अर्जित करने वाले 15 सा.क्षे.उ. में से केवल दो सा.क्षे.उ. ने ₹ 0.26 करोड़ का लाभांश घोषित किया तथा 13 सा.क्षे.उ. ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

सितंबर 2014 को 19 कार्यरत सा.क्षे.उ. के 35 लेखे बकाया थे। लेखाओं तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किए गए निवेश और व्यय उचित रूप से परिगणित किए गए हैं तथा वह प्रयोजन जिसके लिए राशि निवेश की गई थी, प्राप्त किया गया है अथवा नहीं। इस प्रकार, ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है।

2 सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 'वित्तीय पुनर्गठन योजना' और 'हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड' के कार्यचालन से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाएं की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 'वित्तीय पुनर्गठन योजना'

- आदर्श राज्य विद्युत वितरण उत्तरदायिता बिल के अधिनियमन की अनिवार्य शर्तों को, वितरण नेटवर्क में प्राइवेट भागीदारी, कृषि उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा लेखाओं का समय पर फाइनल करना, डिस्कोम्ज तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्ण नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने, भाग लेने वाले उधारकर्ताओं के पक्ष में फेजड पद्धति में विशेष प्रतिभूतियां जारी करके बाण्ड लेने की उनकी योजना प्रक्षेपित नहीं की थी यद्यपि स्कीम में अस्थायी आधार पर यह इंगित किया गया था।
- कार्यचालन पूंजीगत ऋण हेतु पंजाब एवं सिंध बैंक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (ग्रा.वि.नि.) से प्राप्त ₹ 641.16 करोड़ के एस.टी.एल. शामिल न करने के कारण डिस्कोम्ज पर ₹ 71.79 करोड़ के परिहार्य ब्याज का बोझ पड़ा।
- ए.सी.एस.-ए.आर.आर. तथा ए.टी. एंड सी. हानियों में कटौती से संबंधित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए तथा भारत सरकार द्वारा टी.एफ.एम. के अंतर्गत ₹ 199 करोड़ की सीमा तक उपलब्ध करवाए जा रहे लाभ से वंचित हुए।
- राज्य सरकार ने अपनी वचनबद्धताएं पूर्ण नहीं की जैसे कि-ए.पी. उपभोक्ताओं पर एफ.एस.ए. के कारण वसूलनीय ₹ 2,115.87 करोड़ की सबसिडी जारी करना, सरकारी विभागों के ₹ 500.42 करोड़ के बकाया विद्युत प्रभार जारी करना, डिस्कोम्ज को एस.टी.एल्ज पर ₹ 1,537.36 करोड़ के ब्याज की प्रतिपूर्ति करना तथा फेज्ड पद्धति में विशेष प्रतिभूतियां जारी करके बांड्स ग्रहण करना।
- स्कीम के बावजूद 2011-14 के दौरान यू.एच.बी.वी.एन.एल. की संचित हानियां ₹ 12,423.61 करोड़ से ₹ 16,185.47 करोड़ तक (जुलाई 2013 में यू.एच.बी.वी.एन.एल. से डी.एच.बी.वी.एन.एल. को हस्तांतरित जींद सर्कल की ₹ 2,291.68 करोड़ की संचित हानियों को छोड़कर) तथा द.ह.बि.वि.नि.लि में ₹ 7,285.53 करोड़ से ₹ 10,726.59 करोड़ तक बढ़ गई।

हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड का कार्यचालन

- कंपनी 2009-14 के दौरान प्रमाणित बीजों का लक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकी। 2009-14 के दौरान यह कमी 17.27 और 33.29 प्रतिशत के बीच थी।
- कंपनी ने 2012-13 में बिक्री के लिए गेहूं के बीज का 3.07 लाख क्विंटल उत्पादन किया लेकिन राज्य में केवल 1.86 क्विंटल बेच सकी और 0.34 लाख क्विंटल लागत से नीचे बेचा गया (राज्य से बाहर) परिणामत: ₹ 1.66 करोड़ की हानि हुई। शेष 0.87 लाख क्विंटल बीज 2013-14 के दौरान ₹ 1.63 करोड़ की हानि पर बेचा गया।
- कंपनी ने, बाजार दरों की तुलना में उच्चतर दरों पर सरकारी एजेंसियों से एक लाख क्विंटल गेहूं के बीज के क्रय (नवंबर 2010) पर ₹ 2.95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।
- बीजों की लागत परिकलित करते हुए, कंपनी ने, 2009-13 के दौरान किसानों से ₹ 2.58 करोड़ और ₹ 5.52 करोड़ क्रमश: ब्याज और कमीशन के लिए अधिक वसूल किए तथा सह-उत्पादकों को अन्य सरकारी संगठनों से ₹ 2.84 करोड़ का अधिक दाम लेने की अनुमति देकर अनुचित लाभ दिया।

- 2009-14 के दौरान सीड विलेज स्कीम के अंतर्गत 11.58 लाख किसानों को जोड़ने के लक्ष्य के विरूद्ध, कंपनी ने 4.03 लाख किसान ही जोड़े। कंपनी ने, स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण लागत पर किए गए वास्तविक व्यय के आधिक्य में ₹ 2.72 करोड़ का भारत सरकार से दावा किया।

3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार नीचे दिया गया है:

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र

एच.पी.पी.सी. ने एच.पी.जी.सी.एल. को ₹ 755.91 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया तथा साफ्ट पेनल्टी नार्मस, विद्युत क्रय अनुबंधों में दोषपूर्ण क्लाजिज तथा लघु अवधि विद्युत क्रय के अंतिमकरण में देरी के कारण ₹ 165.26 करोड़ की हानि उठाई। विद्युत की उपलब्धता में कमियां एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से ऊंची दरों पर लघु अवधि तथा यू.आई. विद्युत खरीद कर पूरी की गई जिसने डिस्कोमस पर ₹ 2,095.27 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला।

हरियाणा राज्य सड़क तथा पुल विकास निगम लिमिटेड

अनुबंधकर्ताओं के खाते में पैसों के गलत जमा तथा उनके अमिलान के कारण ₹ 1.34 करोड़ की अवसूली हुई।

हरियाणा एग्रो उद्योग निगम लिमिटेड

निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण किसानों को दिए गए ₹ 10.46 करोड़ के बोनस की प्रतिपूर्ति एफ.सी.आई. से अभी तक नहीं हुई है तथा कंपनी ने बोनस भुगतान करने के लिए प्राप्त ऐसी सी.सी. लिमिट पर ₹ 4.79 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया था।

हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड

अनुसूचित जाति लाभग्राहियों को सहायता अनुदान के 20 प्रतिशत का संवितरण सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। अधिशेष निधियों/साम्या का प्रबंधन अनुचित था। ब्याज सब्सिडी का संदेहास्पद गबन देखा गया जिसमें 47 भिन्न-भिन्न मामलों से संबंधित ₹ 10.90 लाख एक बैंक खाते में जमा करवाए गए थे।

हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड

पांच जिलों में, अपात्र लाभग्राहियों को ₹ 50 लाख की ऋण राशि संस्वीकृत तथा संवितरित की गई। पिछड़े वर्गों के मामले में वसूली की प्रतिशतता 21 एवं 39 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के मामले में 14 एवं 25 प्रतिशत तथा विकलांग व्यक्तियों के मामले में 29 और 35 प्रतिशत के बीच थी।